न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 95/2022

अनवान : –

1.. श्यामलाल पुत्र पदमाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांकः 22/2/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 142/124 की कुल 10.3477 है0 भूमि में से 31/409 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामाराम पुत्र पदमाराम है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व पैनकार्ड आदि में अंकित है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रांर्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है तथा राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हो जाता है। अतः राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का नाम श्यामाराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर सही नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम दर्ज कर देवें तथा प्रार्थी का कोई हिस्सा कम व ज्यादा नही होना है केवल नाम ही संशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैै।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद [illegible] पेरोकार राज ने अपना [illegible] जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम श्यामाराम गलत दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 142/124 की कुल 10.3477 है0 भूमि में से 31/409 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व पैनकार्ड आदि में सही नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा भावलदेसर तहसील नोहर के खाता स0 142/124 की कुल 10.3477 है0 भूमि में से 31/409 प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी श्यामाराम पुत्र पदमाराम के स्थान पर सही नाम श्यामलाल पुत्र पदमाराम दुरस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच श्यामाराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का श्यामाराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम श्यामाराम पुत्र पदमाराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:48:56 IST
Reason: SelfAttested